


332



न्यायालय माननीय राज्य मन्त्र मध्यप्रदेश, ग्वालियर

R46-I17

प्रकरण क्रमांक

12080 निगरानी

श्री एस. ए. अग्रवाल
द्वारा आज दि. 3-1-17 को
प्रस्तुत

सुरेश नारायण शर्मा पुत्र राममरीच शर्मा,
निवासी- सिद्धिका मीठला, मिण्ड- तेंदलीर व
जिला मिण्ड-मध्यप्रदेश।

4
3-1-17
क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

----- प्राधी

बिराध

मध्यप्रदेश शासन

----- प्रतिप्राधी

349A10

निगरानी बिराध आवेश एस०डी०जी० महोदय मिण्ड विभागी
26-12-16, अन्तर्गत धारा 40 मध्यप्रदेश सू-राज्य वहीला, 1984।
प्रकरण क्रमांक 32 196-10 अपील।

शाखा प्रवर्तारी (रा.अ.)
कार्यालय ग्वालियर, मध्यप्रदेश

श्रीमान् जी,

निगरानी का आवेदन पत्र निम्न आधारों पर प्रस्तुत है :-

- १- यह कि अधिनस्थ न्यायालयों की वाशरें कानून सही नहीं है।
- २- यह कि, एस०डी०जी० महोदय ने प्रकरण ४ के स्वरूप एवं कानूनी स्थिति को सही रूप से नहीं समझा है।
- ३- यह कि, एस०डी०जी० महोदय ने प्रकरण ४ के प्राधी के स्थगन आवेदन-पत्र को निरस्त करने में अपने न्यायिक विवेक का प्रयोग सही नहीं किया गया है।
- ४- यह कि, एस०डी०जी० महोदय का आवेश, आवेश की परिभाषा में नहीं आता है, क्योंकि वह स्वयं वहीला हुआ आवेश न होकर सकारण आवेश न होने से विवादायत आवेश निरस्त होना चाहिए।
- ५- यह कि, एस०डी०जी० महोदय ने उनके समस्त प्रस्तुत स्थगन आवेदन पत्र पर समस्त विचार ही नहीं किया गया है।



XXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-46-एक/17

जिला - भिण्ड

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
05-12-18	<p>आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री एस.के. अवस्थी उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 24-4-19 को कलेक्टर, जिला भिण्ड के समक्ष उपस्थित हों।</p> <p style="text-align: right;"> प्रशासकीय सदस्य</p> <p style="text-align: center;"></p>	